

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :-166 / 2025

प्रकाश कटारा

—अपीलार्थी

## बनाम

1. शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं प्रभारी संयुक्त प्रशासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सावंलोत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :- लेखराज तोसावड़ा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड II पंचायत समिति, कुशलगढ जिला बांसवाडा, राजस्थान में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपनिदेश समिति बाल विकास सेवाएं, बांसवाडा के रिक्त पद पर 70 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के माता-पिता वृद्ध हैं जो कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
3. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार

प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 02 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 04 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य